न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

वादी देवीलाल बनाम देवीचन्द

मुकदमा नं. 293/2023 T.I

26/8/23	पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 26/8/23 को पेश हो।
26/8/23	पत्रावली पेश। अधि. उभयपक्ष हाजिर। ~~अधि. उभयपक्ष~~ अपील सं. 45/6 ताकिम एकपक्ष से हो चुकी है, बावजूद ताकिम हाजिर नहीं। अतः अपील सं. 45/6 के ताकिम एकतरफा कार्यवाही क्रमबद्ध से लाई जाती है। वाद उभयपक्ष सुनी गई। वाद प्रश्न परमनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया गया। मूल पक्ष कटवारे का है तथा डेराने बाड़ विवादित भूमि के मौके की स्थिति में परिवर्तन कर तथा हिस्सा विशेष भूमि का बैचान कर पक्षों के हित प्रभावित हो सकते है। अतः प्रार्थना-पत्र पक्षों के स्वीकार किया जाता है तथा अपीलार्थी को पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित भूमि ख.न. 1133 हेमरवाड़े ग्राम आजाद तहसील बालिका सीकर की भूमि पर मौके की यथास्थिति बनाये रखें तथा हिस्सा विशेष भूमि का बैचान नहीं करें। अन्य स्थगन होने रहन, विद्युत कनेक्शन आदि पर असर नहीं होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ल सकम है। बाकि दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सीकर